दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF. Rs 15/-2

25

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. /2001

R. 568-II/2001

श्री के.के. द्विवेदी द्वारा आज दि० 22/3/2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

22 MAR 2001

मुन्नालाल तनय परमधारी चर्मकार
निवासी साकिन गायघाट तहसील
चुरहट जिला सीधी म.प्र.

...आवेदक

वि.

महेश चर्मकार तनय जगई चर्मकार
निवासी साकिन गायघाट तहसील
चुरहट जिला सीधी म.प्र.

... अनावेदक

22.3.2001
K.K. Dwivedi Advocate

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/98-99/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.2000 के विरुध म.प्र.भू. राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नांकित निवेदन है कि :-

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्य तथा मौके की स्थिति के अनुसार आवेदन का कब्जा दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया था उसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है ।

3. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने यह निष्कर्ष की संहि की धारा 115, 116 के अनुसार तहसीलदार को कब्जा दर्ज

क्रं....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 568–दो/01 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 107/अपील/07–08 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2000 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गायघाट की आराजी ख0 क0 219 रकवा 0. 97 डि0 रकवा 0.75 डि0 पर अधीनस्थ न्यायालय उत्तरवादी के नाम कब्जा लिखाने का आदेश दिया गया जबकि उक्त आराजी का पटट्ा आवेदक के नाम अकेले जरिये व्यवस्थापन दिया गया तथा निरन्तर मौके पर आवेदक बतौर मालिक काबिज दाखिल है अभी भी उत्तरवादी का कब्जा दखल शासकीय अभिलेखों में अंकित नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 121, 115 के आधार पर गलत व्याख्या करते हुये काननू के विधि मान्य सिन्द्वातों की की अवहेलना की गयी है ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेष स्थिर रखने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ नयायालय द्वारा उभयपक्षों को लैखिक तथा मौखिक साक्ष्य का विधिविपरीत अर्थ निकालने में कानून की मंशा का उल्लंघन किया है। धारा 115 की स्पष्ट मंशा है कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर स्वविवेक से निराकरण किया जायेगा निजी आवेदन पत्र के आधार पर भू–राजस्व संहिता धारा 115 का उपयोग	

नहीं होता किन्तु मनमाने ढंग से कानून की व्याख्या का अर्थ लगाते हुये अधीनस्थ न्यायालय का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अस्तु अपील प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अधीनस्थ का त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करते हुये अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि पटवारी द्वारा दिनांक 4.8.97 को कब्जे के संबंध में तहसीलदार को प्रतिवेदन देने पर तहसीलदार ने सुनवायी किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया विधि के अनुकूल होने से स्थिर रखा जावे। समर्थन में न्याय दृष्टांत 1995 रा0 नि0 366 प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि धारा का उल्लेख सही न होने पर मामले के तथ्य नहीं बदल जाते । पटवारी खेत के वास्तविक निरीक्षण के अनुसार खसरा में कब्जे की पृविष्टि करने के लिये अरबध्य है उसके द्वारा कब्जे की पृविष्टि नहीं किया जाना उपार तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। अंत में निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार किया जावे।

4– अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अनावेदक भूमिस्वामी है और आवेदक का कब्जा कभी नहीं रहा है इस मामले में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 आकर्षित नहीं होती है। संहिता की धारा 115 के अंतर्गत कब्जे का इन्द्राज तभी हो सकता है जब पूर्व में किसी वर्ष में कब्जे का इन्द्राज रहा हो। चूंकि पूर्व वर्ष में कब्जा दर्ज नहीं था। तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने का अधिकार नहीं था धारा 116 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के अन्दर आवेदन प्राप्त होने पर कब्जा दर्ज किये

जाने का प्रावधान है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में विधि का पालन न करते हुये आदेश पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी खारिज की जावे।

5— अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी /आवेदक द्वारा 15.10.97 को चालू राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज कराने के संबंध में संहिता की धारा 121, 115 तथा 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया थां पटवारी ने 4.8.97 को तहसीलदार को संबोधित करते हुये प्रतिवेदन भेजा था, बाद में पटवारी द्वारा पंचनामा सहित एक और प्रतिवेदन भेजा था। विद्वान तहसीलदार ने आलोच्य आदेश में धारा 121 को विचारणीय नहीं मानाहैजोउपरोक्त संदर्भित न्याय दृष्टांत के अनुरूप और विधिक है। किन्तु संहिता की धारा 115 के अंतर्गत उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उत्तरवादी का वर्ष 96—97 एवं 97—98 में कब्जा दर्ज करने का जो आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है आवेदक द्वारा जो मांगा गया नहीं था वह भी दे दिया गया है। संहिता की धारा 116 के अधीन मामले पर विचार करना चाहिये ऐसे प्रकरणों में संहिता के धारा 115 का उपयोग करते हुये विहित परिसीमा को बंधन मुक्त करते हुये किसी भी पक्षकार को लाभान्वित करना उचित नहीं । संन्दर्भ न्याय दृश्ष्टांत 1989 रे0 नि0 4 उद्वरण उल्लेखित है।

6— उपरोक्त विवेचना के अधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 20.12.2000 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य